उत्तर प्रदेश शासन
चिकित्सा अनुभाग–8
संख्या–3691/पॉच–8–2008–129 विविध/2001
लखनऊ : दिनांक 25 सितम्बर, 2008

कार्यालय–ज्ञाप

प्रदेश में नकली अधोमानक एवं मिथ्याछाप औषधियों के निर्माण एवं विक्रय तथा मिलावटी खाद्य पदार्थों की रोकथाम हेतु प्रभावी कार्यवाही किये जाने तथा इस सम्बन्ध में औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 एवं तत्सम्बन्धी नियमावली, 1945, खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 एवं तत्सम्बन्धी नियमावली, 1955 के प्रभावी कियान्वयन हेतु चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के नियंत्रणाधीन महानिदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य से पृथक खाद्य एवं औषधि प्रशासन निदेशालय, के गठन की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2– उपर्युक्त उद्देश्य से गठित खाद्य एवं औषधि प्रशासन निदेशालय का संगठनात्मक ढॉचा निम्नवत होगा :–

(i) खाद्य एवं औषधि प्रशासन निदेशालय के विभागाध्यक्ष प्रमुख सचिव/सचिव स्तर के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी होगें, जो आयुक्त खाद्य एवं औषधि प्रशासन के नाम से जाने जायेंगे।

(ii) निदेशालय में पुलिस विभाग तथा स्थानीय अभिसूचना इकाई से सामंजस्य बनाये रखने हेतु उप पुलिस महानिरीक्षक स्तर के एक अपर आयुक्त अभिसूचना/प्रवर्तन (वेतनमान रू0 16400–20000) नियुक्त होगें, जिनके अधीन एक पुलिस उपाधीक्षक, 04 पुलिस निरीक्षक तथा एक विधि अधिकारी होगें। इसके अतिरिक्त अपर आयुक्त अभिसूचना/प्रवर्तन के अधीन सहायक आयुक्त (वेतनमान रू0 10000–15200) तैनात होगें। सहायक आयुक्त के अधीन 02 औषधि निरीक्षक, 02 मुख्य खाद्य निरीक्षक तथा 02 खाद्य निरीक्षक तैनात होगें।

..... 2

(iii) मुख्यालय स्थित निदेशालय के समस्त प्रशासनिक कार्यो के सम्पादन हेतु एक वरिष्ठ पी0सी0एस0 अधिकारी अपर आयुक्त, प्रशासन (वेतनमान रू0 16400–20000) के रूप में नियुक्त होगें, जिनके सहयोग हेतु एक कनिष्ठ पी0सी0एस0 अधिकारी उपायुक्त, प्रशासन के रूप में नियुक्त होगें। अपर आयुक्त प्रशासन के अधीन मिनिस्ट्रीयल स्टाफ तैनात होगें।

(iv) निदेशालय के वित्तीय कार्यो के सम्पादन हेतु एक वित्त नियंत्रक (वेतनमान रू0 16400–20000) एवं एक सहायक लेखाधिकारी (वेतनमान रू0 8000–13500) तैनात होगें।

(v) खादय एवं औषधि प्रयोगशाला की विश्लेषण क्षमता में वृद्वि एवं इन्हें सुदृढ करने हेतु आयुक्त, खाद्य एवं औषधि प्रशासन के अधीन संयुक्त आयुक्त प्रयोगशाला (वेतनमान रू0 14300–18300) तैनात होगे।

(vi) आयुक्त, खाद्य एवं औषधि प्रशासन के अधीन खाद्य एवं औषधि के कार्यो पर प्रभावी नियंत्रण करने के उद्धेश्य से एक विभागीय संयुक्त आयुक्त, औषधि (वेतनमान रू0 14300–18300) एवं एक संयुक्त आयुक्त, खाद्य (वेतनमान रू0 14300–18300) कार्यरत होगें। औषधि नियंत्रक एवं संयुक्त निदेशक, खाद्य के पद कमशः संयुक्त आयुक्त, औषधि एवं संयुक्त आयुक्त, खाद्य के नाम से जाने जायेंगे।

(i) संयुक्त आयुक्त, औषधि के अधीन उप आयुक्त, औषधि (वेतनमान रू012000–16500) एवं सहायक आयुक्त, औषधि (वेतनमान रू010000–15200) तैनात होगें।

------3

(ii) संयुक्त आयुक्त, खाद्य के अधीन उपायुक्त, खाद्य (वेतनमान रू012000–16500) एवं सहायक आयुक्त खाद्य (वेतनमान रू08000–13500) एवं मुख्य खाद्य निरीक्षक (वेतनमान रू05500–9000) तैनात होगें।

(iv) वर्तमान में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य निदेशालय के अन्तर्गत कार्य सम्पादित कर रहे खाद्य एवं औषधि अनुभागों के स्वीकृत पदों को खाद्य एवं औषधि प्रशासन निदेशालय में समायोजित माना जायेगा।

3– खाद्य एवं औषधि प्रशासन के अधीन मण्डलीय/जनपदीय संगठन एवं अन्य के सम्बन्ध में पृथक से आदेश निर्गत किये जा रहे हैं।

4– कृपया उपर्युक्तानुसार खाद्य एवं औषधि प्रशासन निदेशालय के गठन की कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

(नीता चौधरी) 25.9.08
प्रमुख सचिव।

संख्या– 3691 (1)/पॉच–8–2008, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

(1) महालेखाकार, द्वितीय, उ0 प्र0, इलाहाबाद।
(2) समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उ0 प्र0 शासन।
(3) समस्त मण्डलायुक्त, उ0 प्र0।
(4) समस्त जिलाधिकारी, उ0 प्र0।
(5) महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उ0 प्र0, लखनऊ।
(6) महानिदेशक, परिवार कल्याण/प्रशिक्षण, उ0 प्र0, लखनऊ।
(7) निदेशक, स्वास्थ्य, उ0 प्र0, लखनऊ।
(8) समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0 प्र0।
(9) समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी, उ0 प्र0।
(10) औषधि नियंत्रक/औषधि नियंत्रक, प्रशिक्षण, उ0 प्र0, लखनऊ।

.....4–

(11) संयुक्त निदेशक, खाद्य, स्वास्थ्य भवन, लखनऊ।
(12) जन-विश्लेषक, राजकीय जन-विश्लेषक प्रयोगशाला, लखनऊ।
(13) समस्त स्थानीय निकाय, उ0 प्र0।
(14) गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(लोकेश कुमार)
संयुक्त सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन

सचिवालय प्रशासन अनुभाग– 1 (अधि0)

संख्या–1897/बीस–1–ई–2009–603(47)/90 टी0सी0–15

लखनऊः दिनॉक 30 जुलाई, 2009

कार्यालय ज्ञाप

तात्कालिक प्रभाव से कार्यहित में उत्तर प्रदेश शासन के अधीन चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के नियंत्रणाधीन चिकित्सा अनुभाग–8 को समाप्त करते हुए **"खाद्य एवं औषधि नियंत्रण विभाग"** का गठन किया जाता है जिसका कोड सं0–88 होगा।

2 चिकित्सा अनुभाग–8 में व्यवहृत होने वाले कार्य एवं स्टाफ उक्त नव–गठित विभाग को अंतरित हो जायेंगे।

(डॉ जे0एन0 चैम्बर,)
प्रमुख सचिव।

संख्या–1897(1)/बीस–1–ई–2009–603(47)/90 टी0सी0–15, तद्दिनॉक

उक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उ0प्र0 शासन।
3. प्रमुख सचिव/सचिव, मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन।
4. समस्त मा0 मंत्री/राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)/राज्य मंत्री, उ0प्र0 के निजी सचिव।
5. स्टाफ आफिसर, मंत्रिमण्डलीय सचिव, उ0प्र0 शासन।
6. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।

---2/...

7. कृषि उत्पादन आयुक्त/औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
8. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन।
9. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ0प्र0।
10. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0प्र0, इलाहाबाद।
11. निदेशक, सूचना, उ0प्र0।
12. उ0प्र0 सचिवालय के समस्त अनुभाग।
13. विभागीय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,

(कामरान रिजवी)
सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
खाद्य एवं औषधि प्रशासन अनुभाग
संख्या–452/अठ्ठासी–10–129खा/08टी0सी0
लखनऊ दिनांक 04 जून, 2010

अधिसूचना

साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10 सन् 1897) की धारा–21 के साथ पठित खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 (अधिनियम संख्या–37, सन् 1954) की धारा–20 की उपधारा (1) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके और इस संबंध में जारी की गयी पूर्ववर्ती अधिसूचनाओं को अधिक्रमण करके राज्यपाल समस्त जिला मजिस्ट्रेटो को उनके अपने–अपने जिलों के अन्तर्गत उक्त अधिनियम, 1954 के उपबंधो के विरूद्ध किये गये अपराधों के लिए अभियोजन की स्वीकृति प्रदान करने हेतु प्राधिकृत करते हैं।

आज्ञा से,
(विजय शंकर पाण्डेय)
प्रमुख सचिव।

संख्या–452(1)/अठ्ठासी–2010, तददिनांक।

प्रतिलिपि निदेशक, लेखन एवं मुद्रण सामग्री, उ0प्र0, इलाहाबाद को इस आशय से प्रेषित कि उक्त गजट को आगामी अंक के असाधारण गजट में प्रकाशित करने का कष्ट करें।

आज्ञा से,
(शिव श्याम मिश्रा)
विशेष सचिव।

संख्या–452(11)/अठ्ठासी–2009, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

(1) प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
(2) प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उ0प्र0 शासन।
(3) महालेखाकार, उ0प्र0।
(4) आयुक्त, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, उ0प्र0, लखनऊ।
(5) समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
(6) समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
(7) निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0।
(8) महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उ0प्र0, लखनऊ।
(9) राजकीय जन विश्लेषक, राजकीय जन विश्लेषक प्रयोगशाला,लखनऊ।
(10) समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी, उ0प्र0।
(11) समस्त नगर स्वास्थ्य अधिकारी, नगर निगम, उ0प्र0।
(12) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(शिव श्याम मिश्रा)
विशेष सचिव।

जारी / प्रभारी
11/05/10

संख्या–817 /अठ्ठासी–10–55खा / 10

प्रेषक,

दीपक कुमार,
सचिव,
उ0 प्र0 शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त,
उ0प्र0।
2. समस्त जिलाधिकारी,
उ0प्र0।
3. समस्त जनपद प्रभारी,
पुलिस उप महानिरीक्षक /
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक /
पुलिस अधीक्षक, उ0प्र0।

खाद्य एवं औषधि प्रशासन अनुभाग   लखनऊ : दिनांक 11 मई, 2010

विषयः– अपमिश्रित खाद्य पदार्थ एवं नकली, अधोमानक, मिथ्याछाप औषधियों से संबंधित प्रकरणो में क्रमशः खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम तथा औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम के अन्तर्गत अपराध घटित होने पर संबंधित न्यायालय में परिवाद दायर करने तथा भा0द0वि0 के अन्तर्गत अपराध घटित होने पर सुसंगत धाराओं में संबंधित थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत कर कार्यवाही किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 की धारा–20 के अन्तर्गत खाद्य पदार्थो के अपमिश्रण से संबंधित अपराध घटित होने पर खाद्य निरीक्षक द्वारा तथा औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की धारा–32 के अन्तर्गत औषधियों के नकली, अधोमानक एवं मिथ्याछाप से संबंधित अपराध घटित होने पर संबंधित औषधि निरीक्षक द्वारा संबंधित न्यायालय में वाद दायर किया जाता है।

2– भारतीय दण्ड विधान (I.P.C.) संहिता की धारा–272 में विक्रय के लिए आशयित खाद्य या पेय का अपमिश्रण, धारा–273 में अपायकर (NOXIOUS) खाद्य या पेय का विक्रय दण्डनीय अपराध है। इसी प्रकार भा0द0वि0 की धारा–274 में औषधियों का अपमिश्रण, धारा–275 में अपमिश्रित औषधियों का विक्रय एवं धारा–276 में एक औषधि का भिन्न औषधि या निर्मित के रूप में विक्रय दण्डनीय अपराध है। उक्त अपराधो के संबंध में द0प्र0सं0 की धारा–154 के अन्तर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत कराने की व्यवस्था दी गयी है। पुलिस विवेचना अधिकारी द्वारा सम्पादित की जा रही विवेचना में साक्ष्य संकलन के क्रम में अपमिश्रण के लिए प्रयोग में लाये गये कच्चे माल के स्त्रोत, पैकेजिंग, लेबलिंग, बिल वाउचर्स इत्यादि के परिप्रेक्ष्य में गहनता से विवेचनात्मक कार्यवाही तथा अपराध में संलिप्त सभी अपराधियों, सभी स्थानों इत्यादि के विषय में साक्ष्य संकलित कर सम्पूर्ण प्रकरण की तह तक जाने की महती आवश्यकता है।

3– दण्ड प्रकिया संहिता की धारा–210 में समान अपराध में पुलिस विवेचना एवं न्यायालय में परिवाद दायर होने पर न्यायालय द्वारा अपनायी जाने वाली प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। जब अपराध से संबंधित परिवाद न्यायालय में दायर किया जाता है और उसी अपराध के परिप्रेक्ष्य में थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज होती है, तो पुलिस विवेचना अधिकारी द्वारा सम्पादित की गयी विवेचना रिपोर्ट न्यायालय में दायर होने पर न्यायालय द्वारा दोनो प्रकरणों को सम्बद्ध कर एक साथ परीक्षण किया जाता है।

4— खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत अपराध घटित होने पर संबंधित खाद्य निरीक्षक तथा औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के अन्तर्गत अपराध घटित होने पर संबंधित औषधि निरीक्षक द्वारा परिवाद न्यायालय में दायर किये जाते है। इसी प्रकार खाद्य अपमिश्रण से संबंधित अपराध घटित होने पर भा0द0वि0 की धारा—272 एवं 273 तथा नकली, अधोमानक एवं मिथ्याछाप से संबंधित अपराध घटित होने पर भा0द0वि0 की धारा—274,275 एवं 276 में संबंधित थाने पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने पर पुलिस को विवेचना करने का अधिकार है।

5— उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि खाद्य अपमिश्रण संबंधी मामले में संबंधित खाद्य निरीक्षक तथा औषधि अपमिश्रण के मामले में संबंधित औषधि निरीक्षक द्वारा परिवाद न्यायालय में दायर किया जाता है तथा उसी प्रकरण में संबंधित थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होकर विवेचना की कार्यवाही के उपरान्त आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया जाता है तो दोनो प्रकरणो को सम्बद्व कर न्यायालय द्वारा परीक्षण एक साथ किया जाता है।

6— उपरोक्त विधिमान्य व्यवस्था के होते हुये भी शासन के संज्ञान में आ रहा है कि अपमिश्रित खाद्य पदार्थो/नकली, अधोमानक एवं मिथ्याछाप औषधियों के प्रकरणों में खाद्य निरीक्षकों/औषधि निरीक्षकों द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने मे हीलाहवाली की जा रही है, जिसे किसी भी प्रकार से उचित नही कहा जा सकता है। अतएव यह स्पष्ट किया जाता है कि ऐसे प्रकरणों, जिनमें खाद्य पदार्थ से संबंधित नमूने राजकीय जन विश्लेषक प्रयोगशाला की जॉच रिपोर्ट में अपमिश्रित पाये जाते है तथा औषधियों से संबंधित नमूनें प्रयोगशाला की जॉच रिपोर्ट में अपमिश्रित, मिथ्याछाप या नकली पाये जाते है तो संबंधित खाद्य निरीक्षक/औषधि निरीक्षक द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने की विधि सम्मत कार्यवाही की जाए। इसके साथही ऐसे प्रकरण जो बिना लाइसेंस के पाये जाय या जिनमें संज्ञेय अपराध घटित होने का संदेह हो, उनमें भी तत्काल प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

भवदीय,

(दीपक कुमार)
सचिव।

संख्या— (1)/अठठासी—10—तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1— आयुक्त, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, उ0प्र0, लखनऊ।
2— अपर आयुक्त, प्रशासन, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, उ0प्र0, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वे समस्त मुख्य खाद्य निरीक्षक/खाद्य निरीक्षकों/सहायक औषधि नियंत्रक/औषधि निरीक्षकों को अपने स्तर से तत्काल निर्देशित करने का कष्ट करें।
3— समस्त स्थानीय स्वास्थ्य प्राधिकारी, उ0प्र0।
4— गार्ड फाइल।

11/3/10

आज्ञा से,

(एस0के0 द्विवेदी)
विशेष सचिव।

जारी/राजेश पाण्डेय/टेलिकां 12/07/10

संख्या–1369/अठ्ठासी–2010–55खा/10

प्रेषक,

शिव श्याम मिश्रा
विशेष सचिव,
उ0 प्र0 शासन।

जारी/egyele 12/7/10

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त,
उ0प्र0।
2. समस्त जिलाधिकारी,
उ0प्र0।
3. समस्त जनपद प्रभारी,
पुलिस उप महानिरीक्षक/
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/
पुलिस अधीक्षक, उ0प्र0।

खाद्य एवं औषधि प्रशासन अनुभाग

लखनऊ : दिनांक 12 जुलाई, 2010

विषयः–अपमिश्रित खाद्य पदार्थ एवं नकली, अधोमानक, मिथ्याछाप औषधियों से संबंधित प्रकरणो में क्रमशः खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम तथा औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम के अन्तर्गत अपराध घटित होने पर संबंधित न्यायालय में परिवाद दायर करने तथा भा0द0वि0 के अन्तर्गत अपराध घटित होने पर सुसंगत धाराओं में संबंधित थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत कर कार्यवाही किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासन के पत्र संख्या–817/अट्ठासी–10–55खा./10 दिनांक 11.05.10 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा अपमिश्रित खाद्य पदार्थ एवं नकली, अधोमानक, मिथ्याछाप औषधियों से संबंधित प्रकरणो में क्रमशः खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम तथा औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम के अन्तर्गत अपराध घटित होने पर संबंधित न्यायालय में परिवाद दायर करने तथा भा0द0वि0 के अन्तर्गत अपराध घटित होने पर सुसंगत धाराओं में संबंधित थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट पजीकृत कर कार्यवाही किये जाने के विस्तृत निर्देश दिये गये थे।

2– इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विधिमान्य व्यवस्था के होते हुये भी शासन के संज्ञान में आ रहा है कि अपमिश्रित खाद्य पदार्थो/नकली एवं अपमिश्रित औषधियों के प्रकरणों में सम्बन्धित खाद्य निरीक्षकों/औषधि निरीक्षकों द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने मे उदासीनता बरती जा रही है, जिसे किसी भी प्रकार से उचित नही कहा जा सकता है। अतएव यह स्पष्ट किया जाता है कि अपमिश्रित खाद्य पदार्थों से सम्बन्धित जो नमूने मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक अथवा मानव सेवन के लिए अनुपयुक्त पाये जाते हैं तथा औषधियों से सम्बन्धित जो नमूने अपमिश्रित या नकली पाये जाते हैं, उन पर सम्बन्धित खाद्य निरीक्षक/औषधि निरीक्षक द्वारा प्रथम दृष्ट्या अपराध के घटित होने की पुष्टि होने के पश्चात ही प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने की विधिसम्मत् कार्यवाही भी की जाय। इसके साथ ही ऐसे प्रकरण जो बिना लाइसेन्स के पाये जाय या जिसमें भारतीय दण्ड विधान अथवा अन्य

अधिनियमों में वर्णित संज्ञेय अपराध घटित हुआ है, उसमें भी तत्काल प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाय। इस सीमा तक उपरोक्त शासनादेश संख्या संख्या–817/अट्ठासी–10–55खा./10 दिनांक 11.05.10 के प्रस्तर–6 में दिये गये दिशा–निर्देशों को संशोधित समझा जाय।

भवदीय,

(शिव श्याम मिश्रा)
विशेष सचिव।

संख्या– (1)/अठ्ठासी–10–तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– आयुक्त, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, उ0प्र0, लखनऊ।

2– अपर आयुक्त, प्रशासन, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, उ0प्र0, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वे समस्त मुख्य खाद्य निरीक्षक/खाद्य निरीक्षकों/सहायक औषधि नियंत्रक/औषधि निरीक्षकों को अपने स्तर से तत्काल निर्देशित करने का कष्ट करें।

3– समस्त स्थानीय स्वास्थ्य प्राधिकारी, उ0प्र0।

4– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शिव श्याम मिश्रा)
विशेष सचिव।

संख्या– 437 /अठ्ठासी–09–94खा/09

प्रेषक,

देश दीपक वर्मा,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
खाद्य एवं औषधि प्रशासन,
उ0 प्र0, लखनऊ।

खाद्य एवं औषधि प्रशासन अनुभाग — लखनऊ : दिनांक 04 मार्च, 2010

विषय : **खाद्य अपमिश्रण व नकली, मिथ्याछाप व अधोमानक औषधियों के उत्पादन एवं विक्रय में संलिप्त संगठित अपराधियों/माफियाओं के विरूद्ध त्वरित कार्यवाही किये जाने हेतु कार्यालय आयुक्त, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, उ0प्र0 में एफ0डी0ए0 टास्कफोर्स के गठन के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश में खाद्य अपमिश्रण एवं नकली, मिथ्याछाप व अधोमानक औषधियों के उत्पादन एवं विक्रय में संलिप्त संगठित अपराधियों/माफियाओं की गतिविधियों पर अंकुश लगाने हेतु कार्यालय आयुक्त, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, उ0प्र0 में एफ0डी0ए0 टास्कफोर्स का गठन निम्नानुसार किया जाता है, जिसका कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

1. उद्देश्य :

(i) खाद्य अपमिश्रण एवं नकली, मिथ्याछाप व अधोमानक औषधियों के उत्पादन एवं विक्रय में संलिप्त संगठित अपराधियों/माफियाओं के विरूद्ध अभिसूचना आधारित प्रवर्तन की कार्यवाही करना।

(ii) उपरोक्त अपराधियों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही हेतु विशेष कार्ययोजना तैयार करके उसका क्रियान्वयन करना।

(iii) उपरोक्त अपराधियों के विरूद्ध पुलिस एवं अभिसूचना इकाईयों के साथ समन्वयन स्थापित करते हुए प्रभावी कार्यवाही करना।

(iv) संगठित अपराध करने वाले अर्न्तजनपदीय अपराधियों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही करना।

2. बल की शक्ति एवं दायित्व :

(i) एफ0डी0ए0 टास्कफोर्स द्वारा किसी भी संबंधित शाखा अथवा इकाई से आपराधिक अभिसूचना व अन्य विवरण प्राप्त किये जा सकेगे।

(ii) एफ0डी0ए0 टास्कफोर्स को अपने क्षेत्र में निम्न शक्तियॉ प्रदान की जाती है :

.....2

(a) टास्कफोर्स में सम्मिलित खाद्य निरीक्षकों को Search, Seizure एवं अन्य वही शक्तियॉ प्राप्त होगी, जो खाद्य अपमिश्रण अधिनियम, 1954 एवं नियमावली, 1955 एवं अन्य विधियों के अधीन प्राप्त है।

(b) टास्कफोर्स में सम्मिलित औषधि निरीक्षकों को Search, Seizure एवं अन्य वही शक्तियॉ प्राप्त होगी, जो औषधि एव्र प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 एवं नियमावली, 1945 एवं अन्य विधियों के अधीन प्राप्त है।

(c) टास्कफोर्स में सम्मिलित पुलिस उपाधीक्षक एवं निरीक्षक को भारतीय दण्ड संहिता की धारा–272 से 276 में कार्यवाही करने हेतु वही शक्तियॉ प्राप्त होगी, जो दण्ड प्रक्रिया संहिता तथा अन्य विधियों के अधीन प्राप्त है।

(iii) एफ0डी0ए0 टास्टफोर्स अपने कार्यक्षेत्र में स्थित किसी भी थाने में उपरोक्त अधिनियमों का उल्लंघन करने वाले अपराधियों के विरूद्व अभियोग पंजीकृत कराने हेतु सक्षम होगी।

3. संगठनात्मक ढ़ाँचा एवं जनशक्ति :

एफ0डी0ए0 टास्कफोर्स अपर आयुक्त (अभिसूचना/प्रवर्तन) के नेतृत्व में कार्य करेगा। आवश्यकता के अनुसार इसमें समय–समय पर विभिन्न स्तर के अधिकारियों/पुलिस कर्मियों को शासन द्वारा निर्धारित संख्या में तैनात किया जायेगा। बल का स्वरूप स्थायी प्रकृति का न होकर एक सीमित अवधि के लिए होगा तथा इसके लिए आवश्यक जनशक्ति विभिन्न शाखाओ में पुर्नयोजित करते हुये उपलब्ध करायी जायेगी तथा सीमित अवधि के उपरान्त उपलब्ध कराये गये संसाधन/जनशक्ति विभिन्न इकाईयों में यथावश्यकता समायोजित कर दिये जायेंगे।

एफ0डी0ए0 टास्क फोर्स में अपर आयुक्त, अभिसूचना/प्रवर्तन के अधीन 01 उपाधीक्षक, 01 सहायक आयुक्त, 01 विधि अधिकारी, 04 पुलिस निरीक्षक, 02–02 मुख्य खाद्य निरीक्षक व औषधि निरीक्षक तथा 02 खाद्य निरीक्षक होगे, जिन्हे अभिसूचना संकलन एवं प्रवर्तन कार्य के लिए अपर आयुक्त, अभिसूचना/प्रवर्तन द्वारा योजित किया जायेगा। पूर्णकालिक बल के अतिरिक्त निम्न इकाईयों द्वारा एफ0डी0ए0 टास्कफोर्स को इसके उददेश्यों की पूर्ति हेतु अपेक्षित सहायता उपलब्ध करायी जायेगी :

(i) समस्त जिलाधिकारी/जनपदीय पुलिस उप महानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, पुलिस अधीक्षक उक्त अपराधियो के विरूद्व कार्यवाही में एफ0डी0ए0 टास्कफोर्स को अपेक्षित सहायता प्रदान करेंगें।

(ii) समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी, नगर स्वास्थ्य अधिकारी, जिला पूर्ति अधिकारी एवं बाट एवं माप विभाग के अधिकारी एफ0डी0ए0 टास्कफोर्स को अपेक्षित सहायता प्रदान करेगें।

इस बल के सदस्यो को उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रोत्साहन हेतु अलग से व्यवस्था की जायेगी।

4. कार्य पद्धति :

(i) एफ0डी0ए0 टास्कफोर्स की गतिविधियों का समन्वयन अपर आयुक्त, अभिसूचना/प्रवर्तन द्वारा किया जायेगा।

.....3

(ii) अपर आयुक्त, अभिसूचना/प्रवर्तन एफ0डी0ए0 टास्क फोर्स द्वारा की गयी कार्य प्रगति की निरन्तर समीक्षा करते हुये आगामी रणनीति तय करेगें।

(iii) आयुक्त, खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग एफ0डी0ए0 टास्क फोर्स के लिऐ वॉछित Logistics, Manpower Support एवं उसके द्वारा की गयी जा रही कार्यवाही की पाक्षिक समीक्षा करेगे तथा शासन को उपलब्धियों/प्रगति से अवगत करायेगे।

(iv) एफ0डी0ए0 टास्क फोर्स द्वारा विभिन्न जनपदों में की जाने वाली कार्यवाहियों/बरामदगी की सूचना संबंधित जिला मजिस्ट्रेट/पुलिस अधीक्षक को तत्काल दे दी जायेगी।

5. संसाधन :

एफ0डी0ए0 टास्क फोर्स को आवश्यक संसाधन खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग से तथा जन शक्ति पुलिस विभाग/**खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग** से उपलब्ध कराये जायेगे। कार्यबल को आवश्यकतानुसार पुलिस विभाग से पुलिस अधिकारियों को अस्त्र–शस्त्र इत्यादि तथा आवश्यकतानुरूप उपयुक्त वाहन मय वाहन चालकों के खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा उपलब्ध कराये जायेंगें।

भवदीय,

(देश दीपक वर्मा)
प्रमुख सचिव।

संख्या– 437 (1)/अट्ठासी–09–तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1. मुख्य स्टाफ आफिसर, मंत्रि मण्डलीय सचिव, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्रि मण्डलीय सचिव के अवलोकनार्थ।
2. मुख्य स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव,उ0प्र0 शासन को मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
3. प्रमुख सचिव न्याय, उ0प्र0 शासन।
4. प्रमुख सचिव, गृह, उ0प्र0 शासन।
5. प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
6. प्रमुख सचिव, खाद्य एवं रसद विभाग, उ0प्र0 शासन।
7. आयुक्त, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, उ0प्र0।
8. पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0, लखनऊ।
9. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
10. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
11. जनपदीय पुलिस उप महानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उ0प्र0।
12. समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी उत्तर प्रदेश।
13. निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0, लखनऊ।

आज्ञा से,

(एस0के0 द्विवेदी)
विशेष सचिव।

संख्या–554 / छः–पु0–3–10

प्रेषक,

कुंवर फतेह बहादुर
प्रमुख सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अपर पुलिस महानिदेशक (अभिसूचना),
उत्तर प्रदेश, लखनऊ

गृह (पुलिस) अनुभाग –3 लखनऊ: दिनांक 25 फरवरी, 2010

विषय–खाद्य अपमिश्रण पर नकली, अधोमानक और मिथ्याछाप औषधियों के निर्माण एवं विक्रय की रोकथाम एवं इनमें संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध त्वरित कार्यवाही हेतु प्रभावी एवं परिणामकारी अभिसूचनाओं के प्रेषण किये जाने के संबंध में।

महोदय,

खाद्य सामग्रियों में मिलावट, नकली, अधोमानक और मिथ्याछाप औषधियों के निर्माण एवं विक्रय की रोकथाम के लिए खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग का गठन किया गया है। इस प्रकार की गतिविधियों में संलिप्त ऐसे असामाजिक तत्त्वों के विरूद्ध कार्यवाही के लिए इस विभाग को प्रभावी एवं परिणामकारी अभिसूचना यदि समय रहते प्राप्त हो जाय, तो विभाग द्वारा समय से प्रभावी कार्यवाही की जा सकती है।

उक्त पृष्ठभूमि में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि अभिसूचना की सभी जनपदीय इकाईयों को इस बारे में संवेदनशील कर दिया जाय, और निदेशित कर दिया जाय कि वह इस कार्य की अभिसूचना का संकलन करें और इसकी जानकारी सम्बन्धित जिला के जिलाधिकारी को नियमित रूप से उपलब्ध करायें। इसी प्रकार राज्य मुख्यालय पर भी इस विभाग के आयुक्त तथा अपर आयुक्त (अभिसूचना/परिवर्तन) को भी प्रदेश स्तर पर संकलित आसूचना नियमित रूप से उपलब्ध करायी जाये।

भवदीय,

(कुंवर फतेह बहादुर)
प्रमुख सचिव

संख्या 554 (1)/छः–पु0–3–10 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. प्रमुख सचिव, खाद्य एवं औषधि नियंत्रण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।
3. आयुक्त, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, उत्तर प्रदेश, 9, जगत नारायण रोड, लखनऊ।
4. समस्त जिलाधिकारी तथा जनपद प्रभारी पुलिस उप महानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

(महेश कुमार गुप्ता)
सचिव

संख्या–374/अठठासी–09–97खा/09

प्रेषक,

दुर्गा शंकर मिश्र,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

खाद्य एवं औषधि नियंत्रण अनुभाग लखनऊ दिनांक 11 नवम्बर, 2009

विषय–प्रदेश में नकली, अधोमानक एवं मिथ्याछाप औषधियों एवं प्रसाधन सामग्री तथा अपमिश्रित खाद्य पदार्थो के निर्माण एवं विक्रय की रोकथाम हेतु जिला खाद्य एवं औषधि सतर्कता समिति का गठन।

****

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश में अपमिश्रित खाद्य पदार्थो के निर्माण एवं विक्रय की रोकथाम हेतु खाद्य अपमिश्रण अधिनियम, 1954 एवं तत्संबंधी नियमावली, 1955 के प्राविधानो के अन्तर्गत विनियमन एवं प्रवर्तन कार्य किया जाता है। इसी प्रकार नकली, मिथ्याछाप, अपमिश्रित एवं अधोमानक औषधियों तथा प्रसाधन सामग्री के विनियमन तथा प्रवर्तन का कार्य औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 एवं तत्संबंधी नियमावली, 1945 के अन्तर्गत किया जाता है।

2– खाद्य पदार्थो एवं नकली, मिथ्याछाप, अधोमानक एवं अपमिश्रित औषधियों तथा प्रसाधन सामग्री के निर्माण एवं विक्रय की रोकथाम हेतु प्रभावी कार्यवाही किये जाने के लिए खाद्य एवं औषधि प्रशासन का गठन कार्यालय ज्ञाप दिनांक 25.09.08 द्वारा किया गया। तत्पश्चात शासन स्तर पर खाद्य एवं औषधि नियंत्रण विभाग का गठन कार्यालय ज्ञाप दिनांक 30.07.09 द्वारा किया गया। नवगठित विभाग के गठन से शासन की विशेष अपेक्षाये है, जिनमें नकली, मिथ्याछाप, अधोमानक एवं अपमिश्रित औषधियों तथा प्रसाधन सामग्री एवं अपमिश्रित खाद्य पदार्थो के अवैध व्यवसाय को रोकने हेतु प्रभावी कार्यवाही किया जाना शीर्ष प्राथमिकता पर है।

3– आम नागरिकों एवं उपभोक्ताओं में उनके अधिकारों के प्रति जागरूकता के अभाव में खाद्य पदार्थो एवं औषधियों तथा प्रसाधन सामग्री के निर्माताओं और विक्रेताओं द्वारा अपमिश्रित खाद्य पदार्थो एवं नकली, अपमिश्रित तथा अधोमानक औषधियों एवं प्रसाधन सामग्री के अवैध व्यवसाय की आशंका विद्यमान रहती है। जनसामान्य की जागरूकता एवं सतर्कता, खाद्य पदार्थो, औषधियों एवं प्रसाधन सामग्री के अपमिश्रण की रोकथाम में एक प्रभावी कारक साबित हो सकती है। उक्त वर्णित उददश्यों की प्राप्ति हेतु जनसामान्य में जागरूकता तथा खाद्य एवं औषधि प्रशासन और उपभोक्ताओं के बीच सूचना के आदान–प्रदान की महती आवश्यकता है।

4– उपर्युक्त पृष्ठभूमि में शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में "जिला खाद्य एवं औषधि सतर्कता समिति" का गठन निम्नानुसार किया जाय :–

1	जिलाधिकारी	अध्यक्ष
2	जनपदीय पुलिस उप महानिरीक्षक/ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक	सदस्य
3	मुख्य चिकित्साधिकारी	सदस्य
4	नगर स्वास्थ्य अधिकारी	सदस्य
5	जिला पूर्ति अधिकारी	सदस्य
6	जिला शासकीय अधिवक्ता(फौजदारी)	सदस्य
7	उप दुग्ध विकास अधिकारी	सदस्य
8	बाट एवं माप अधिकारी	सदस्य
9	व्यापार मण्डल का जिलाधिकारी द्वारा मनोनीत प्रतिनिधि	सदस्य
10	चीफ वार्डेन/डिप्टी चीफ वार्डेन, नागरिक सुरक्षा	सदस्य
11	उपभोक्ताओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए जिलाधिकारी द्वारा नामित दो प्रतिनिधि	सदस्य
12	औषधि विक्रेताओं/संघ का एक प्रतिनिधि	सदस्य
13	रेडकास/आई0एम0ए0 के प्रतिनिधि	सदस्य
14	औषधि निरीक्षक	सदस्य
15	मुख्य खाद्य निरीक्षक	सदस्य
16	स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार जिलाधिकारी द्वारा नामित स्वैच्छिक संगठनों अथवा अन्यथा से दो व्यक्ति	सदस्य
17	अधिनियम के अन्तर्गत चयनित स्थानीय स्वास्थ्य प्राधिकारी	सदस्य सचिव

5– उक्त "जिला खाद्य एवं औषधि सतर्कता समिति" द्वारा निम्नलिखित कार्य किये जायेगे :–

(क) समिति द्वारा त्रैमास में एक बैठक अवश्य की जायेगी। स्थानीय आवश्यकता के दृष्टिगत एक से अधिक बैठके भी की जा सकती है।

(ख) खाद्य एवं औषधि प्रशासन के कार्यो में पारदर्शिता, उत्तरदायित्व एवं एकरूपता लाने हेतु स्टेक होल्डर्स एवं जन सामान्य की सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु कार्यशाला/संगोष्ठी का आयोजन एवं अन्य माध्यमों के द्वारा प्रचार–प्रसार हेतु विचार एवं कियान्वयन।

(ग) समिति द्वारा अपमिश्रित खाद्य पदार्थो एवं नकली, अधोमानक, अपमिश्रित एवं मिथ्याछाप औषधियों के निर्माण एवं विक्रय की रोकथाम हेतु स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन रणनीति तैयार करके लागू किया जाना।

(घ) समिति द्वारा समय–समय पर सम्पन्न बैठकों के कार्यवृत्त आयुक्त, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, उ0प्र0 को प्रेषित किये जायेगे।

(ड़) समिति द्वारा खाद्य एवं औषधि प्रशासन के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु जनपद में कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों का सहयोग प्राप्त किया जायेगा।

(च) खाद्य पदार्थों एवं औषधि में मिलावट और अधोमानकता के प्रति जन सामान्य में जागरूकता बढ़ाये जाने के उददेश्य से उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों की जानकारी दिये जाने हेतु महत्वपूर्ण सूचना एवं तथ्यों को प्रचारित एवं प्रसारित किया जायेगा।

(छ) खाद्य अपमिश्रण निवारण एवं नकली, अधोमानक, अपमिश्रित एवं मिथ्याछाप औषधियों की रोकथाम के क्षेत्र में सराहनीय योगदान करने वाले व्यक्तियों को प्रोत्साहित करने पर विचार।

(ज) शासन अथवा आयुक्त कार्यालय स्तर से चलाये जाने वाले विशेष अभियानों के अन्तर्गत किये गये कार्यों की समीक्षा की जायेगी तथा कार्यवाही को प्रभावी बनाने हेतु सुझाव लिए जायेगे।

(झ) उपर्युक्त कार्यों के अतिरिक्त समिति स्वविवेक से स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप अन्य कार्य सम्पादित करेगी।

इस संबंध में आपसे अनुरोध है कि अपने जनपद में उपर्युक्तानुसार "खाद्य एवं औषधि सतर्कता समिति" का गठन करके क्रियाशील करने हेतु तत्काल आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय

(दुर्गा शंकर मिश्र)
सचिव।

संख्या-3176 (1)/88-09-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. मुख्य स्टाफ आफिसर, मंत्रि मण्डलीय सचिव, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्रि मण्डलीय सचिव के अवलोकनार्थ।
2. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव,उ0प्र0 शासन को मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
3. प्रमुख सचिव, न्याय/गृह/खाद्य एवं रसद विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. प्रमुखसचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य/दुग्ध विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
5. आयुक्त, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, उ0प्र0 ।
6. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
7. समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

(एस0के0 द्विवेदी)
विशेष सचिव।